भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5795

सोमवार, 30 मार्च, 2026/ 09, चैत्र, 1948 (शक)

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का कार्यान्वयन

†5795. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) की शुरुआत से लेकर अब तक इसके भाग क और भाग ख के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और एलुरु जिलों में ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और एलुरु जिलों में ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में रोजगार प्राप्त करने के लिए योजना के अंतर्गत पंजीकृत और वर्तमान में सहायता प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और एलुरु जिलों में ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के कार्यान्वयन में योजना के प्रभाव का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने पीएमवीबीआरवाई योजना के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियों/अभियानों के माध्यम से कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 को विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का अनुमोदन किया, जिसका नाम प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) है। यह योजना 15 अगस्त 2025 को शुरू की गई थी। इस योजना की पंजीकरण अवधि 01.08.2025 से 31.07.2027 तक दो वर्ष की है और बजटीय परिव्यय ₹99,446 करोड़ है। इस योजना का लक्ष्य 2 वर्षों की अवधि में पूरे देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

जारी..2/-

यह योजना मांग-आधारित है; इसलिए, आंध्र प्रदेश सहित किसी भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए कोई पूर्व-निर्धारित राज्य-विशिष्ट लक्ष्य या निश्चित वित्तीय आवंटन नहीं है।

24 मार्च तक, देशभर में इस योजना के तहत 5.07 लाख प्रतिष्ठान पंजीकृत हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 16,912 प्रतिष्ठान पंजीकृत हुए हैं।

इस योजना और इसके प्रावधानों का व्यापक आउटरीच प्रयासों के माध्यम से देश भर में व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने राज्यों के श्रम और उद्योग मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित करके तथा ईपीएफओ, ईएसआईसी और सीएलसी अधिकारियों वाली राज्य क्रॉस-फंक्शनल टीमें गठित करके राज्य स्तर पर प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता दी है। ये टीमें, कार्यशालाएं, वेबिनार और हितधारक बैठकें आयोजित कर रही हैं और जमीनी स्तर पर जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य के अधिकारियों और उद्योग जगत के साथ सीधे तौर पर जुड़ रही हैं।

योजना संबंधी सभी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और लाभार्थियों तथा क्षेत्रवार प्रगति की वास्तविक समय निगरानी करने के लिए एक समर्पित पोर्टल (pmvbry.epfindia.gov.in) विकसित किया गया है।

समझने में आसानी के लिए इस पोर्टल पर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), योजना दिशानिर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) उपलब्ध कराए गए हैं।

*****